

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 243]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 21 मई 2020 — वैशाख 31, शक 1942

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 18 मई 2020

छत्तीसगढ़ राज्य शहरी बेघर नीति, 2020

“भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत गरिमापूर्ण आश्रय का अधिकार जीवन के अधिकार का एक आवश्यक घटक है”

क्रमांक एफ 5-66/2016/18 . — राष्ट्रीय शहरी आवास और आवास नीति, 2007 निर्दिष्ट करती है कि “शहरी स्थानीय निकायों/विकास प्राधिकरण/आवास विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि विकास योजनाएं/मास्टर प्लान के साथ-साथ क्षेत्रीय योजनाएं और स्थानीय क्षेत्र की योजनाएं नियमित रूप से बनायी जाए और इन्हें नियमित रूप से संशोधित किया जाए ताकि बेघरों के लिए पर्याप्त प्रावधान किया जा सके।”

भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास प्रदान करने के अपने वृहत उद्देश्य के तहत, सभी को आश्रय प्रदान करने के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना तैयार की है, और इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं ।

इसलिए, अब अपने संवैधानिक और वैधानिक दायित्वों को पूरा करने और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश/निर्देशों का अनुपालन करने और शहरी बेघर व्यक्तियों के आश्रय के लिए उनके अधिकार प्रदान करने हेतु राज्य शासन बेघरों हेतु नीति तैयार कर नीति को निम्नानुसार घोषित करता है ।

1.0 संक्षिप्त नाम, सीमा एवं प्रारंभ तिथि

- 1.1 प्रस्तावित छत्तीसगढ़ बेघर नीति -2020 के नाम से जाना जायेगा ।
- 1.2 प्रस्तावित नीति राज्य के समस्त शहरी क्षेत्रों के नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों में लागू होगी ।
- 1.3 प्रस्तावित नीति राजपत्र में प्रकाशित होने के तिथि से लागू होगी ।

2.0 नीति के उद्देश्य :

2.1 शहरी बेघरों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य नीति, 2020 का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी शहरी बेघरों के लिए आश्रय की मूलभूत आवश्यकता, सभी के लिए मूलभूत सेवाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य लाभों तक पहुंच सुनिश्चित हो एवं सभी गरिमायुक्त जीवन जी सकें।

2.2 2022 तक छत्तीसगढ़ राज्य में प्रत्येक निवासी चाहे वह किसी उम्र, लिंग, जाति, धर्म और क्षेत्र का ही क्यों न हो, अकेले या परिवार के साथ रहने के लिए किसी उपयुक्त स्थान पर पहुंच सकता है ताकि हर बेघर व्यक्ति गरिमामय जीवन जी सकें।

2.3 बेघर व्यक्ति के अस्तित्व, विकास, उन्नति, संरक्षण, भागीदारी और गरिमामय व भेदभाव मुक्त जीवनयापन हेतु सक्षम वातावरण प्रदाय किया जाए।

3.0 इन उद्देश्यों की पूर्ति के अनुसरण में छत्तीसगढ़ शासन यह सुनिश्चित करेगी—

- (1) प्रथमतः 24x7 सुविधायुक्त स्थायी आश्रयों की स्थापना करना और बेघर लोगों को पात्रता अनुसार पहचान पत्र, निर्वाचन कार्ड, पेंशन, आदि का लाभ प्रदान करना।
- (2) हर उस बेघर व्यक्ति चाहे वह पुरुष, महिला, बच्चा या अन्य, को रहवास हेतु सुरक्षित, स्वच्छ, आरामदायक, आश्रय सुविधा उपलब्ध कराना।
- (3) समाज के कमजोर वर्गों के लिए विशेष व्यवस्था उपलब्ध कराना।
- (4) बुजुर्ग व्यक्तियों, अकेली महिलाओं, घर से भागे बालक/बालिका, मानसिक रूप से बीमार शारीरिक रूप से अक्षम लोगों, आदि निराश्रित लोगों को पर्याप्त सहायता सुनिश्चित करना।
- (5) आश्रय स्थल स्थाई हो एवं आश्रय स्थल स्थानंतरित न हो।
- (6) बेघर की पहचान और पुनर्वास प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करना एवं बेघर होने के कारणों को ज्ञात करते हुये निराकरण की पहल करना। (बेघरों का विस्तृत सर्वेक्षण उपरांत निराकरण की व्यवस्था)
- (7) राज्य में आवास के सतत विकास को बढ़ावा देना और कम दर पर भूमि और सस्ते आवासों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- (8) बेघर व्यक्तियों को मुख्यधारा में जोड़ने हेतु स्थायी आजीविका को बढ़ावा देना।
- (9) सस्ते आवास में प्राथमिकता के आधार पर शहरी बेघर लोगों के लिए आवास की सुविधा प्रदान करना, ऋण के पुनर्भुगतान हेतु कम दरों की किस्तों के साथ आसान ऋण के रूप में राज्य और वित्तीय संस्थानों माध्यम से व्यवस्था किया जाना।
- (10) सभी श्रमिकों, सेवा प्रदाताओं, प्रवासियों आदि के लिए औद्योगिक और/या विकास नीतियों में पर्याप्त आवासीय प्रावधानों को सुनिश्चित करना, एवम् इन्हें इस प्रकार लागू किया जाए कि सभी लोगों को लाभप्रद रोजगार प्राप्त हो सकें।

(11) यह सुनिश्चित करना कि औद्योगिक और अन्य विकास नीतियां इस प्रकार संरेखित/श्रेणीबद्ध (Aligned) और कार्यान्वित की जाएं ताकि बेघरों को रोजगार के रूप में आजीविका के बेहतर अवसर प्राप्त हों।

3.1 शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना, हितधारकों की भागीदारी के निर्णय लेने की प्रक्रिया पर आधारित हैं।

3.2 कार्यक्रम का एक मजबूत सामाजिक उद्देश्य भी है, और इसमें नागरिक समाज, कॉर्पोरेट घरानों एवं अन्य सभी सम्बन्धित एजेंसियों और संस्थानों को शामिल किया जाए।

4.0 बेघर – परिभाषा

इस नीति के उद्देश्य के लिए, एक बेघर व्यक्ति वह है, जहाँ वह रहता है, वहाँ उसके पास अपना घर नहीं है या वह उस शहर में किराए पर मकान नहीं ले सकता है और खुले स्थानों, पार्कों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों में सड़कों और फुटपाथों, बरामदों में पाइप में, पुलों के नीचे और खुले आसमान के नीचे या अन्य स्थानों पर रहने और सोने के लिए विवश है।।

5.0 बेघर की पहचान और उन्हें आश्रय प्रदान करना

(1) शहरी स्थानीय निकाय नियमित स्वतंत्र तृतीय पक्ष एजेंसियों या स्वयं के व्यवस्था/तंत्र के माध्यम से समय-समय पर बेघर का सर्वेक्षण करेंगे।

(2) सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर, शहरी स्थानीय निकाय बेघर के प्रकार और प्रकृति को वर्गीकृत करेगा और उनके प्रकार के आधार पर डे-एनयूएलएम दिशानिर्देशों के अनुसार और हितधारकों के परामर्श से समयबद्ध योजना में उपयुक्त आश्रयों तक पहुंच सुनिश्चित करेगा।

(3) सभी बेघरों को उचित आश्रय प्रदान किये जाने की जिम्मेदारी नामित अधिकारी होगी।

6.0 परियोजना कार्यान्वयन, निगरानी और समीक्षा

6.1 नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के अन्तर्गत राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) बेघर नीति को क्रियान्वित करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से शहरी बेघर कार्यक्रम को समन्वित और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्य स्तरीय प्रशासनिक विभाग (नोडल विभाग) होगा।

6.2 नोडल विभाग प्रतिरूप/मॉडल उपनियम को बना सकता है और बेघर और उनके पुनर्वास के लिए आश्रयों की स्थापना और प्रबंधन के संबंध में स्थानीय निकायों को आदेश या दिशानिर्देश जारी कर सकता है।

6.3 शहरी बेघर कार्यक्रम के अनुपालन के लिए नोडल विभाग जिम्मेदार होगा और समय-समय पर समीक्षा, निगरानी और प्रतिवेदन तैयार करेगा और भारत सरकार और राज्य स्तरीय समिति को इसकी जानकारी प्रदान करेगा।

6.4 निगरानी और मूल्यांकन के लिए नोडल विभाग भारत सरकार के दिशानिर्देशों के संदर्भ में राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय आश्रय निगरानी समिति (SLSMC) का गठन किया है, जो शहरी बेघरों के लिये आश्रय स्थल कार्यक्रम का मार्गदर्शन और निगरानी करेगा। राज्य स्तरीय आश्रय निगरानी समिति (SLSMC) राज्य में नीति और शहरी बेघर कार्यक्रम के कार्यान्वयन तिमाही आधार पर बैठक आयोजित कर कार्यक्रम की समीक्षा की जावेगी।

6.5 शहरी स्थानीय निकाय आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी की अध्यक्षता में आश्रय निगरानी समिति गठित करेंगे। जिला कलेक्टर, सिटी मिशन प्रबंधन ईकाई के अध्यक्ष के रूप में भी उपरोक्त की निगरानी करेंगे।

7.0 बेघरों के पुनर्वास के लिए रणनीति

7.1 पुनर्वास के कार्यक्रम इस प्रकार तैयार होंगे ताकि, यह निम्न कार्यक्रमों/योजनाओं तक पहुंच सुनिश्चित करें :-

- (1) शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एन.एफ.एस.ए.) जैसे कानूनों के तहत सामाजिक लाभ, और पेंशन जैसे अन्य लाभ,
- (2) रियायती दरों पर स्वामित्व या किराये का आवास,
- (3) शिक्षा और कौशल विकास, और
- (4) स्व-रोजगार सहित लाभदायक रोजगार

7.2 चिन्हित बेघरों की आय के स्रोतों को बढ़ाने के उद्देश्य से, प्रशिक्षण और आवश्यकता आधारित शिक्षा द्वारा कौशल विकास के कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे और संचालित किए जाएंगे।

7.3 कौशल विकास, स्वरोजगार, रोजगार के अवसर बढ़ाने और आय वृद्धि के लिए, आवश्यक विभागों को प्रभावी वित्तीय सहायता के साथ नवीन योजनाएं बजटीय प्रावधानों और बैंकों से आसान समर्थित ऋण द्वारा प्रारंभ की जा सकती है।

8.0 वित्तीय व्यवस्था

8.1 भारत सरकार, छत्तीसगढ़ शासन, स्थानीय निकायों और समेकित बजट प्रावधानों या किसी अन्य प्रावधान के तहत संबंधित आश्रय स्थलों के वित्त सम्बंधी व्यवस्था किया जायेगा।

8.2 शहरी बेघरों से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के लिए एक विस्तृत बजटीय प्रावधान होगा, संबंधित विभागों के लिए राशि आबंटन के लिए बजटीय मांगों को तैयार करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, संयुक्त सचिव.

अटल नगर, दिनांक 18 मई 2020

क्रमांक एफ 5-66/2016/18. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-66/2016/18, दिनांक 18-05-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, संयुक्त सचिव.

Atal Nagar, the 18th May 2020

“Whereas right to dignified shelter is an essential component of right to life guaranteed under Article 21 of the Constitution of India”

No. F-5-66/2016/18. — And whereas the National Urban Housing and Habitat Policy, 2007 provides that the Urban Local Bodies/Development Authorities/Housing Boards would ensure that Development Plans/Master Plans as well as zonal plans and local area plans are made and updated regularly so that adequate provision is made for homeless.

Government of India, as part of its larger objective of providing housing for all by 2022, has designed a Centrally-sponsored scheme for providing shelter to all, and issued detailed guidelines in this regard.

Now, therefore, in fulfillment of its constitutional and statutory obligations and in compliance of the orders/directions of the Honourable Supreme Court, New Delhi, the State Government, hereby, frames and declares its policy providing for shelters for urban homeless persons along with their right and entitlement to certain benefits there under

1.0 Short Title, Extent and Commencement

1.1 This policy may be called as the Chhattisgarh State Policy on Urban Homeless, 2020

1.2 It shall be applicable to the urban areas falling under the Municipal Corporations/Councils/Nagar Panchayats in the State.

1.3 It shall commence from the date of its publication in the Official Gazette.

2.0 Objectives of the Policy

2.1 The primary objective of the Chhattisgarh State Policy for Urban Homeless, 2020, is to ensure that the basic need to Shelter for All, access to basic services, education, health and other benefits are fulfilled for all urban homeless persons in a time bound manner and a life with dignity is provided to all.

2.2. By 2022 each and every resident in the State of Chhattisgarh irrespective of age, sex, caste, religion, and region whether living alone or with family shall have access to an appropriate place of residence so that everyone lives a life with dignity.

2.3 The homeless shall have an enabling environment for survival, growth and development, protection, participation, and a life with dignity and without discrimination.

3.0 In pursuance of these objectives Government of Chhattisgarh would ensure that,-

- (i) As a first step establish 24x7 permanent shelters and provide urban homeless with all benefits as per entitlements including identity cards, election cards, pensions, etc.
- (ii) Ensure that every homeless person — whether man, woman, child or others, has a safe, clean, comfortable, secure shelter facility to live in.
- (iii) Provide special arrangements for the vulnerable sections of the society.
- (iv) Ensure adequate support to destitute like old, single women, run away children, mentally and physically challenged, etc.;
- (v) Ensure that these shelters are at a permanent location and that there will be no dislocation.
- (vi) Ensure identification and rehabilitation of homeless and identifying processes that lead to homelessness and addressing the same (detailed survey of the homeless to respond to their entitlements);
- (vii) Promote sustainable development of habitat in the State and ensuring equitable supply of land and houses at affordable prices;
- (viii) Promote sustainable livelihood for the homeless for mainstreaming them.
- (ix) Facilitate access to housing to the urban homeless people on priority in affordable housing through financial support of state and financial institutions in the shape of easy loans with affordable installments of repayments.

(x) Ensure adequate housing provisions in industrial and/or development policies for all workers, service providers, migrants etc. and ensure that they are so implemented that people get gainful employment.

(xi) Ensure that industrial and other development policies are so aligned and implemented that homeless get better opportunities of livelihood as self-employed.

3.1 Shelter for the urban homeless are based on participation of the stakeholders in the decision-making process.

3.2 Since the program have a strong social objective and as such it shall involve the civil society, corporate bodies and all other agencies and institutions.

4.0 Definitions of homeless

For the purpose of this policy, a homeless person is the one, who does not have house of his own or cannot afford a house on rent in the city or town where he is based ,and constrained to live and sleep on streets and pavements, verandahs, in open vacant places, parks, railway stations, bus stands, in pipes, under bridges and other places under open sky.

5.0 Identification of homeless and providing them shelter:-

- (i) The Urban local bodies shall conduct survey of the homeless on regular basis through appropriate independent third party agencies/or through self-mechanism time to time.
- (ii) Based on the survey data, the urban local body will classify the type and nature of the homeless and based on the type would ensure access to appropriate shelters in a time bound plan as per DAY-NULM guidelines and in consultation with stakeholders.
- (iii) It will be responsibility of the designated official to ensure that all the homeless are provided with appropriate shelter.

6.0 Project Implementation, Monitoring and Review

6.1 State Urban Development Agency (SUDA) under the Department of Urban Administration and Development shall be the Nodal Agency for giving effect to this policy. The Urban Administration and Development (UAD) shall be the State Level Administrative Department (Nodal Department) to coordinate and effectively implement the urban homeless programme through Urban Local Bodies.

- 6.2 The Nodal Department may frame Model Byelaws and issue orders or guidelines to Local Bodies in regard to establishment and management of shelters for homeless and their rehabilitation.
- 6.3 The Nodal Department shall be responsible for compliance with the Urban Homeless programme and shall regularly review, monitor and prepare reports periodically and keep the Central Government of India and the State Level Committee informed of the same.
- 6.4 To have a proper mechanism for monitoring and assessment, the Nodal Department has constituted a State Level Shelter Monitoring Committee (SLSMC) at State Level, formed in terms of the Central Government of India Guidelines, which shall guide and monitor the urban homeless programme. The State Level Shelter Monitoring Committee (SLSMC) shall meet on quarterly basis to review the implementation of the policy and the urban homeless programme in the State.
- 6.5 Urban Local Bodies will set up a Committee known as Shelter Monitoring Committee under the Chairmanship of Commissioner/Chief Municipal Officer. The District Collector, as Chairman of City Mission Management Unit will also supervise the above.

7.0 Strategy for rehabilitation of homeless

- 7.1 The programmes of rehabilitation would be so chalked out that it ensures access to:
- (i) Social benefits under legislations like Right to Education (RTE), National Food Security Act. (NFSA), and other benefits like pensions,
 - (ii) Affordable owned or rental housing,
 - (iii) Education & skill development, and
 - (iv) Gainful employment including self-employment.
- 7.2 For the purpose of enhancing the sources of income of the identified homeless, the programmes of skill development by training and need based education will be commenced and conducted.

7.3 For the purpose of skill development and enhancing opportunity of self-employment and better earning, necessary projects may be launched with effective financial support by State Departments backed by proper budgetary provisions and easy loans from Banks.

8.0 Funding

8.1 The Central Government of India, The State Government of Chhattisgarh and ULBs to concerned shelter under consolidated budget provisions or from any other provision.

8.2 There would be a detailed budgetary provision for the various activities related to urban homeless. It would be mandatory for the concerned departments to prepare budgetary demands for allocation of funds.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. EKKA, Joint Secretary.